

फर्द अहकाम

सहायक जज क्लर्क
आमेर म. जयपुर

न्यायालय _____

गोपाल बनाम राजेश

मुकदमा संख्या/वर्ष _____

60 / 2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष लि०
	1.11.2024	<p>परावामी अल-मुश्ताक गोपाल के लिये इतिहास के अनुसार फेर डंडे। उक्त परावामी को सम्बन्धित मूल वाद काडी इशारेपिडा किये जाकेके खारिज किया जा चुका है, इसलिए उक्त परावामी के कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः प्रार्थना पर अर्थात् निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। परावामी के लिये सुमाह दोष का डिल इफ्तार केवल स्वयं मूल वाद है।</p>	<p>जागरूक गोपाल राजेश</p>

